


फर्द अहकाम

जयराज वर्मा बनाम महादेव वर्मा

उपखण्ड अधिकारी जमवारागढ़, जयपुर

नाम न्यायालय
केस संख्या 113/2022

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|-------------|---------------------------|--|-------------|
| | 13/02/24 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील जयदीप उपाध्याय पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली से संबंधित मूल कांड पत्र पर सुनवाई कर मान्यता रूप से स्वीकार कर निर्णित किया जा चुका है। अतः अब इन आवेदों निषेधाज्ञा पार्श्वना पत्र को जारी चलाने का कोई मौखिक नहीं है। अतः पार्श्वों के इन आवेदों निषेधाज्ञा पार्श्वना पत्र को जारी कर पर खारिज किया जा रहा है। पत्रावली केसल शुभकर होकर गभरल एवं फल है तथा कांड प्रति फाइल सट्ट है।</p> | |


 उप खण्ड अधिकारी
 जमवारागढ़